संख्या पी- 84/14-2-2018-800(75)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 16 अप्रैल 2018

विषयः- कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं0- 489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2758/ कासगंज/31078/2017 दिनांक 26-3-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 चैनेज 134.022 की दायीं पटरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं0-489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में बी0पी0सी0एल0 की तरफ से श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का प्रस्ताव के साथ पावर आफ एटार्नी संलग्न नही है।

अतएव प्रस्तावक श्री टोनेश चतुर्वेदी प्रबंधक (रिटेल) मथुरा का बी0पी0सी0एल0 की तरफ से पावर आफ एटार्नी शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी,)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2942/कासगंज/31078/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 17 , 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख की सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कराकर सत्यापित प्रति **तीन प्रति में** इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख की सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर सत्यापित प्रति **तीन प्रति में** वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) बी0पी0सी0एल0, प्लाट डी–1, रोड नं0–26 इंडस्ट्रियल एरिया, पो0–रिफाइनरी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q